भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *98
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 / 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

गुजरात में भारी बारिश के कारण किसानों और लोगों का अत्यधिक नुकसान

***98# श्री शक्तिसिंह गोहिलः**
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में भारी बारिश के चलते किसानों और लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, यदि हाँ, तो गुजरात सरकार द्वारा कितनी धनराशि के नुकसान का अनुमान लगाया गया है; और
(ख) सरकार द्वारा गुजरात को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)
(क) और (ख) एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *98, दिनांक 04.12.2024

दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *98 के उत्तर में वक्तव्य।

(क) और (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें बाढ़ और भूस्खलन सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार (जीओआई) की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही अपने पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है न कि मुआवजे के लिए।

मंत्रालय बाढ़ और भूस्खलन सहित किसी भी आपदा के कारण हुए नुकसान के आंकड़ों को केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून 2024 के दौरान गुजरात राज्य में बाढ़ के मद्देनजर, गुजरात राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त किए बिना नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 31 अगस्त, 2024 को एक आईएमसीटी का गठन किया गया था। आईएमसीटी ने 12 सितंबर से 14 सितंबर, 2024 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गुजरात राज्य सरकार ने बाढ़/ भारी वर्षा से हुए नुकसान के अनुमान के साथ कोई औपचारिक ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।

एसडीआरएफ के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गुजरात राज्य सरकार को 1635.20 करोड़ रुपये (1226.40 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 408.80 करोड़ रुपये राज्य हिस्सा) की राशि आवंटित की गई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, केन्द्र सरकार ने 1 अक्टुबर, 2024 को एसडीआरएफ से गुजरात राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपये (वर्ष 2023-24 के लिए एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रुप में 584.00 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 के केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त के हिस्से के रुप में 16.00 करोड़ रुपये) की राशि जारी की है। इसके अलावा, गुजरात राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2024 तक अपने एसडीआरएफ खाते में 1275.04 करोड़ रुपये की शेष राशि की सूचना दी है। इस प्रकार, राहत कार्यों के लिए राज्य के एसडीआरएफ खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

****